आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(2)

सम्मुख हरनरेश सिंह गिल न्यायमूर्ति

तहशीलदार सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-2012 का प्रतिवादी सी. आर. आर. नंबर.1116

28 मई, 2019

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-भारतीय दंड संहिता, 1860-अभियोजन के लिए मंजूरी-याचिकाकर्ता जो कांस्टेबल थे, उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने दो अभियुक्तों को पेश करने का निर्देश दिया गया था-एक अभियुक्त ने हथकड़ी से अपना हाथ निकाला और भीड़ का फायदा उठाते हुए फिसलने में कामयाब रहा-याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया और दोषी ठहराया-अपील खारिज-संशोधन दायर किए गए-अनुमत-आयोजित, यह रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका कि उप निरीक्षक ने याचिकाकर्ताओं पर अभियुक्त की हिरासत का आरोप कैसे लगाया-आगे कहा गया, एक लोक सेवक पर उसके द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए सरकार की मंजूरी के बाद आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है।

यह माना गया कि, 3.2.2003 दिनांकित आदेश के अनुसार, प्रत्येक गार्ड को नाम से विशिष्ट आरोपी की हिरासत सौंपी गई थी। इस दस्तावेज़ के अनुसार, याचिकाकर्ता अनिल कुमार को फकरु की हिरासत दी गई थी, जबकि इकबाल (जो अदालत परिसर से भाग गया था) की हिरासत कांस्टेबल नरेश कुमार को दी गई थी।यह रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका कि कैसे शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर राम कुमार, जो गवाह बॉक्स में पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुए थे, ने याचिकाकर्ताओं पर आरोपी की हिरासत का आरोप लगाया था।अपनी जिरह में भी, वह सिपाहियों को कर्तव्य सौंपने वाला रिकॉर्ड पेश करने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि आदेश जारी किया

गया था और अभियुक्तों को अदालतों में पेश करने के लिए सिपाहियों को विशिष्ट अभिरक्षा सौंपी गई थी। इस गवाह ने इस हद तक कहा कि उसे याद नहीं है कि आरोपी की हिरासत किसे सौंपी गई थी।इस प्रकार, रिकॉर्ड के अनुसार, अल्ला खान के बेटे इकबाल की हिरासत कांस्टेबल नरेश कुमार को सौंपी गई थी और उक्त कांस्टेबल नरेश कुमार, जो वहां भी मौजूद थे, आरोपी इकबाल की हिरासत की जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। अतः याचिकाकर्ताओं को अभियुक्त इकबाल के न्यायालय परिसर से भाग जाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। (पैरा 18)

तेहसिलदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य 105

(हरनरेश सिंह गिल, न्यायमूर्ति)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता का संबंध है, एक लोक सेवक पर केवल सरकार की मंजूरी के बाद ही आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है, उस अपराध के लिए जो उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया था। (पैरा 19) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को यह निरीक्षण नहीं करना चाहिए कि समाज गलत दोषसिद्धि से पीड़ित है और यह समान रूप से गलत दोषमुक्तियों से पीड़ित है। इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और सम्मानीय रूपक के संदर्भ में, भूसी से अनाज को अलग करे।इस प्रकार, यह बेहतर है कि 10 दोषी व्यक्ति भाग जाएं, बजाय इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति पीड़ित हो।मेरे विचार से, वर्तमान मामले में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां फरार आरोपी व्यक्ति की अभिरक्षा भी कभी भी याचिकाकर्ताओं को नहीं सौंपी गई थी और इसलिए, उन्हें उक्त आरोपी के भागने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।(पैरा 25)

बिनीत चौधरी, अधिवक्ता

2012 के सी. आर. आर. सं. 1116 में याचिकाकर्ता के लिए

R.S.Ghuman, अधिवक्ता

2012 के सी. आर. आर. संख्या 1205 में याचिकाकर्ता के लिए

तनुज शर्मा, ए. ए. जी, हरियाणा।

हरनरेश सिंह गिल, न्यायामूर्ति।

(1) यह आदेश उपरोक्त दो पुनरीक्षण याचिकाओं का निपटारा करेगा क्योंकि दोनों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुए हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं पर मध्य फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की एफ. आई. आर. संख्या 95 दिनांक 3.2.2003 में भारतीय दंड संहिता की धारा 223,120-बी (संक्षेप में आई. पी. सी.) के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। दिनांक 1.11.2011 के फैसले के माध्यम से, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने याचिकाकर्ताओं को धारा 223,120-बी के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया और दिनांकित 2.11.2011 के आदेश के माध्यम से उन्हें दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना अदा किया। आई. पी. सी. की धारा 223 के तहत प्रत्येक को 1,000/- और दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और रु। 1, 000/- भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत प्रत्येक। जुर्माने का भुगतान न करने पर, उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना पड़ा।

(3) विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित निर्णय से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने दो अलग-अलग अपीलें दायर कीं जो 106 थीं।

फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया। 4.4.2012 पर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया।

(4) अभी भी निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने दो अलग-अलग संशोधनों को प्राथमिकता दी है।

(5) अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि आई. डी. 1 पर उप निरीक्षक राम कुमार ने इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि वह हेड कांस्टेबल रण सिंह, उदयबीर, तहसीलदार सिंह, अनिल कुमार, भरत सिंह, नरेश कुमार और रामेश्वर के साथ नई दिल्ली

की तिहाड़ जेल से पांच अभियुक्तों को फरीदाबाद अदालत परिसर में विभिन्न अदालतों के समक्ष पेश करने के लिए लाए थे।

(6) यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त पाँच अभियुक्तों में से दो अभियुक्त, अल्ला खान के पुत्र इकबाल और कन्नू के पुत्र फकरु, जो पुलिस स्टेशन सदर बल्लभगढ़ में दर्ज प्राथमिकी संख्या 374/2001 में आई. पी. सी. की धारा 399 और 402 के तहत मुकदमे का सामना कर रहे थे, को एक साथ हथकड़ी लगाई गई थी।उन दोनों को फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना था।चूंकि विद्वान न्यायाधीश छुट्टी के कारण 3.2.2003 पर अदालत नहीं रख रहे थे, इसलिए दोनों अभियुक्तों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।सिपाही अनिल कुमार और सिपाही तहसीलदार सिंह (याचिकाकर्ता) को उपरोक्त अभियुक्तों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया।कांस्टेबल तहसीलदार सिंह-याचिकाकर्ता 9 मिमी कार्बाइन हथियार से लैस था। चूंकि हथियार को अदालत के अंदर नहीं ले जाने दिया गया था, इसलिए कांस्टेबल अनिल कुमार-याचिकाकर्ता दोनों अभियुक्तों को अदालत के कमरे के अंदर ले गए, जबकि कांस्टेबल तहसीलदार सिंह-याचिकाकर्ता को अदालत के द्वार पर प्रतिनियुक्त किया गया था।जैसे ही अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था, अदालत के पाठक ने मामले की फाइल पर दोनों अभियुक्तों के हस्ताक्षर ले लिए थे और उसके बाद, किसी तरह आरोपी इकबाल ने हथकड़ी से उसका हाथ निकाल लिया और अदालत कक्ष में भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। शिकायत में आगे यह आरोप लगाया गया है कि फकरु ने यह खुलासा नहीं किया कि आरोपी इकबाल ने हथकड़ी हटा दी थी, इसलिए वह इस अपराध में आरोपी इकबाल से टकरा गया।इस प्रकार, याचिकाकर्ता कांस्टेबल तहसीलदार सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार की लापरवाही के कारण आरोपी इकबाल भाग गया था। इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। उक्त शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(7) जाँच और आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, याचिकाकर्ताओं और आरोपी-इकबाल के खिलाफ चालान पेश किया गया।

(हरनरेश सिंह गिल, न्यायामूर्ति)

(8) अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 120-बी के तहत आरोप तय किए गए थे। अभियुक्त-इकबाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत दंडनीय अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का दावा किया। उक्त शुल्क को 14.11.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया था।

(9) जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए मामला तय किया गया, तो आरोपी इकबाल मुकदमे से फरार हो गया और उसे 4.6.2009 के आदेश के अनुसार भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया।

(10) अपना मामला साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता एस. आई.-राम कुमार सहित 7 गवाहों से पूछताछ की थी, जिसमें पीडब्लू-1 भी शामिल था।

(11) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए बयान में, आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।

(12) निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता लोक सेवक होने के नाते अभियुक्त इकबाल को अन्य अभियुक्तों के साथ फरीदाबाद की अदालतों में पेश करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, और चूंकि इस तथ्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा इनकार नहीं किया गया है और न ही विवादित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की लापरवाही के कारण आरोपी इकबाल अदालत परिसर से भाग गए थे।अदालत ने आगे यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपी इकबाल को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(13) निचली अदालत ने आगे यह निष्कर्ष निकाला है कि एक मामला बनाने के लिए कि धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता थी, याचिकाकर्ताओं को यह स्थापित करना था कि अपराध उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया था।तदनुसार, निचली अदालत ने दिनांक आई. डी. 2 के फैसले में याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया और दिनांक आई. डी. 1 के आदेश में उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।जैसा

कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 4.4.2012 पर खारिज कर दिया गया था।

(14) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से नीचे दिए गए न्यायालयों के अभिलेखों को भी देखा है।

(15) याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से पांच अभियुक्तों को लाने वाली टीम का प्रमुख उप निरीक्षक राम कुमार शिकायतकर्ता था जो पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुआ था।यह रिकॉर्ड में है कि लिखित आदेश डी. डी. संख्या 9 दिनांक 3.2.2003 के माध्यम से जारी किए गए थे और प्रत्येक गार्ड को नाम से विशिष्ट आरोपी की अभिरक्षा सौंपी गई थी।यह आगे तर्क दिया गया है कि दिनांक 108 के आदेश के अनुसार

3.2.2003, याचिकाकर्ता अनिल कुमार को कन्नू के बेटे फकरु की हिरासत दी गई, जबकि अल्ला खान (जो अदालत परिसर, फरीदाबाद से भाग गया था) के बेटे इकबाल की हिरासत कांस्टेबल नरेश कुमार को दी गई।चूंकि इकबाल की हिरासत किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं सौंपी गई थी, इसलिए उन्हें बिना किसी आधार के दोषी ठहराया गया है।(16) यह आगे तर्क दिया जाता है कि जहां तक धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मंजूरी का संबंध है, निचली अदालत ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय अपने न्यायिक दिमाग को लागू नहीं किया।निचली अदालत ने फैसले के पैरा 10 में चर्चा की है कि याचिकाकर्ता लोक सेवक थे और उन्हें फरीदाबाद से आरोपी इकबाल को अदालत में लाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और निचली अदालत के समक्ष पेश बचाव पक्ष के वकील ने यह भी तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता लोक सेवक थे और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई मंजूरी रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू करने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और इसलिए, दोषसिद्धि और दी गई सजा कानून की नजर में खराब है।

(17) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।इकबाल की हिरासत याचिकाकर्ताओं को सौंप दी गई और यह उनका कर्तव्य था कि वे उसे अदालत परिसर से भागने न दें। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया था और उन्हें नीचे की अदालतों द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि निचली अदालतों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले ही नरम रुख अपना लिया है।इस प्रकार पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

(18) मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 3.2.2003 के आदेश के अनुसार, प्रत्येक गार्ड को नामों से विशिष्ट आरोपी की अभिरक्षा सौंपी गई थी। इस दस्तावेज़ के अनुसार, याचिकाकर्ता अनिल कुमार को फकरु की हिरासत दी गई थी, जबकि इकबाल (जो अदालत परिसर से भाग गया था) की हिरासत कांस्टेबल नरेश कुमार को दी गई थी।यह रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका कि कैसे शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर राम कुमार, जो गवाह बॉक्स में पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुए थे, ने याचिकाकर्ताओं पर आरोपी की हिरासत का आरोप लगाया था। अपनी जिरह में भी, वह सिपाहियों को कर्तव्य सौंपने वाला रिकॉर्ड पेश करने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि आदेश जारी किया गया था और अभियुक्तों को अदालतों में पेश करने के लिए सिपाहियों को विशिष्ट अभिरक्षा सौंपी गई थी। इस गवाह ने इस हद तक कहा कि उसे याद नहीं है कि आरोपी की हिरासत किसे सौंपी गई थी। इस प्रकार, अभिलेख के अनुसार, अल्ला खान के पुत्र इकबाल की अभिरक्षा कांस्टेबल नरेश कुमार और उक्त सिपाही तहसीलदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य को सौंपी गई थी।

नरेश कुमार, जो वहाँ भी मौजूद था, आरोपी इकबाल की हिरासत की जाँच करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। अतः याचिकाकर्ताओं को अभियुक्त इकबाल के न्यायालय परिसर से भाग जाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(19) 'इसके अलावा, जहां तक धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता का संबंध है, एक लोक सेवक पर केवल सरकार की मंजूरी के बाद ही आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है, उस अपराध के लिए जो उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया था।

(20) धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः-

न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन।

(1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था जो सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए कथित रूप से किए गए किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय था;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार के किसी राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय थाः

बशर्ते कि जहां खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कथित अपराध उस अवधि के दौरान किया गया था जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी की गई उद्घोषणा किसी राज्य में लागू थी, खंड (बी) इस तरह लागू होगा जैसे कि उसमें होने वाली "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति के लिए, "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था।

(2) कोई भी न्यायालय केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (2) के प्रावधान ऐसे 110 पर लागू होंगे।

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रभारित बलों के सदस्यों का वर्ग या श्रेणी, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहां भी वे सेवा कर रहे हों, और उस पर उस उप-धारा के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाली "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति के लिए, "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था।

(3 क) उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय उस अवधि के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किसी राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपित बलों के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा उसमें लागू थी, सिवाय केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के।

(3 ख) इस संहिता या किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई भी मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर किसी अदालत द्वारा लिया गया कोई भी संज्ञान, 20 अगस्त, 1991 को शुरू होने वाली अवधि के दौरान और उस तारीख से तुरंत पहले समाप्त होने की तारीख के दौरान जब दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1991, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, उस अवधि के दौरान किए गए कथित अपराध के संबंध में जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा राज्य में लागू थी, अमान्य होगी और यह केंद्र सरकार के लिए ऐसे मामले में मंजूरी देने और अदालत के लिए संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगी।

(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति का निर्धारण कर सकती है जिसके द्वारा, किस तरीके से, और उस अपराध या अपराध के लिए, जिसके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक पर अभियोजन चलाया जाना है, और उस न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष मुकदमा चलाया जाना है।

(21) नीचे दिए गए न्यायालयों ने विवादित निर्णयों में धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता पर चर्चा की है।यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता लोक सेवक थे, जो नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरीदाबाद की अदालतों में लाए गए पांच अभियुक्तों की रखवाली करने के लिए उन्हें सौंपे गए अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे।

मेरे विचार से, अदालतों ने एक तहसीलदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य तैयार किया है।

111

(हरनरेश सिंह गिल, न्यायामूर्ति)

गलत निष्कर्ष कि याचिकाकर्ताओं को यह स्थापित करना था कि अपराध अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया था। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन कर रहे थे और याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराते समय नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा इस कारक को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(22) राकेश कुमार मिश्रा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय

बनाम बिहार राज्य और अन्य 1 ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नहीं

अदालत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा शिकायत पर विचार कर सकती है या नोटिस ले सकती है और धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मंजूरी अनिवार्य है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार हैः-

“यह धारा कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों से संबंधित अध्याय में आती है। अर्थात्, यदि उल्लिखित शर्तें नहीं बनाई गई हैं या अनुपस्थित हैं तो कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, धारा 193 के तहत सत्र न्यायालय में कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी अपराध का मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में संज्ञान नहीं ले सकता है, जब तक कि मामला

मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया है या जब तक कि संहिता स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रावधान नहीं करती है। और किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट की अधिकारिता संहिता की धारा 190 द्वारा प्रदान की जाती है, या तो शिकायत प्राप्त होने पर, या पुलिस रिपोर्ट पर या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या उसकी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। जहाँ तक लोक सेवकों का संबंध है, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान, संहिता की धारा 197 द्वारा तब तक वर्जित है जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, यदि अपराध, कथित रूप से किया गया है, आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में था। यह धारा न केवल उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि यह उन शर्तों और परिस्थितियों को भी निर्दिष्ट करती है जिनमें यह उपलब्ध होगी और यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कानून का प्रभाव भी निर्दिष्ट करती है। लोक सेवक को दी जाने वाली सुरक्षा के अनिवार्य चरित्र को इस अभिव्यक्ति द्वारा सामने लाया गया है, 'कोई भी अदालत पूर्व मंजूरी के अलावा इस तरह के अपराध का संज्ञान नहीं लेगी'।'नहीं' और 'नहीं' शब्दों के उपयोग से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अदालत द्वारा शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध पूर्ण और पूर्ण है।बहुत संज्ञान वर्जित है।1 2006(1) आर. सी. आर (आपराधिक) 456 112

यही शिकायत है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार 'संज्ञान' शब्द का अर्थ है 'अधिकार क्षेत्र' या 'अधिकार क्षेत्र का प्रयोग' या 'कारणों का प्रयास करने और निर्धारित करने की शक्ति'। आम बोलचाल में इसका अर्थ है ध्यान देना। इसलिए, एक अदालत को किसी शिकायत पर विचार करने या उस पर ध्यान देने या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक दिया गया है, यदि यह एक लोक सेवक के संबंध में है, जिस पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए अपराध का आरोप है।"

(23) इसी तरह अंजनी कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य 2 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निष्कर्ष निकाला है कि लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है:-

"धारा 197 (1) में यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति जो सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य लोक सेवक नहीं है या था, उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का इरादा रखते हुए उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय (ए) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित है या कथित अपराध के समय था और (बी) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, नियोजित है, के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय था।"

(24) सी. सतनाम सिंह बनाम राज्य के समान मामले में

पंजाब, 2012 के सी. आर. आर. सं. 3348 ने 6.2.2019 पर निर्णय लिया,

याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत खारिज कर दिया गया था।(25) न्यायालय को यह निरीक्षण नहीं करना चाहिए कि समाज गलत दोषसिद्धि से पीड़ित है और यह समान रूप से गलत दोषमुक्तियों से पीड़ित है। इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और सम्मानीय रूपक के संदर्भ में, भूसी से अनाज को अलग करे। इस प्रकार, यह बेहतर है कि 10 दोषी व्यक्ति भाग जाएं, बजाय इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति पीड़ित हो। मेरे विचार से वर्तमान मामले में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां फरार आरोपी की हिरासत भी थी।

2 2008(2) आर. सी. आर (आपराधिक) 849 तहसीलदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य

याचिकाकर्ताओं को कभी नहीं सौंपा गया और इसलिए, उन्हें उक्त अभियुक्तों के भागने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(26) इस प्रकार, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोनों याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ

लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। नतीजतन, नीचे दिए गए न्यायालयों के विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ! सभी व्यव्हारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

प्रताप सिंह

(अनुवादक)